पंचायती राज व्यवस्था (Panchayat Raj and Rural Development) – Most Important Question For MP Patwari Exam

पंचायती राज व्यवस्था (Panchayat and Rural Development)

- लार्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है !
- भारत के सं वधान के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में यह निर्देश है क "राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उनको एसी शक्तियाँ और प्रा धकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लए आवश्यक हों. इस निर्देश के अनुसरण में भारत सरकार ने 73वें सं वधान (संशोधन) अ धनियम, 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कया और भाग 9 में इसके लए उपबंध कया है.सं वधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उपबंध कया गया है !
- 2 अक्तूबर, 1952 को सामुदायिक वकास कार्यक्रम तथा 2 अक्तूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम प्रारंभ कए गए, परन्तु दोनो ही कार्यक्रमों अपे क्षत सफलता नहीँ मली !
- सामुदायिक वकास कार्यक्रम की जांच के लए केंद्र सरकार ने 1957 मेँ बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता मेँ एक अध्ययन दल का गठन कया। इस दल ने 1957 के अंत मेँ अपनी रिपोर्ट में सफारिश की, क लोकतांत्रिक वकेंद्रीयकरण और सामुदायिक कार्यक्रम को सफल बनाने हैतु पंचायत राज्य संस्थाओं की अ वलम्ब शुरुआत की जानी चाहिए। अध्ययन दल ने इसे लोकतांत्रिक वकेंद्रीयकरण का नाम दिया।
- पंचायती राज का शुभारंभ भारत में 2 Oct. 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जबाहर लाल नेहरू द्वारा राज्स्थान के नागौर जिले से हुआ !
- 11 Oct. 1959 को पं नेहरू ने आंध्रप्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कया !
- 73 वां सं वधान संशोधन (1992) , जो क 25 अप्रैल, 1993 से भारत में लागू हुआ , पंचायती राज से संबं धत है !

YASHWANT SHILPKAR

- मध्यप्रदेश में 30 दिसंबर 1993 को पंचायती राज अ धनियम वधानसभा में रखा गया व 25 जनवरी 1994 को पारित कया गया और 20 अगस्त 1994 को लागू कया गया !
- 73 वां सं वधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है !
- 73 वां सं वधान संशोधन द्वारा सं वधान के भाग – 9 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 243क से 243ण तक अनुच्छेद जोडे गऐ , तथा एक अनुसुची – 11 जोडी गई ! जो सभी पंचायती राज से संबं धत हैं ! Panchayat and Rural Development
- अनुसूची – 11 में कुल 29 बिषय हैं जिन पर पंचायतें कानून बना सकती हैं !
-
- अनुच्छेद 243 परिभाषाएं
- अनुच्छेद 243 A ग्राम सभा
- अनुच्छेद 243 B ग्राम पंचायतों का गठन
- अनुच्छेद 243 C पंचायतों की संरचना
- अनुच्छेद 243 D स्थानों का आरक्षण
- अनुच्छेद 243 E पंचायतों के कार्यकाल या अव ध
- अनुच्छेद 243 F सदस्यता के लए अयोग्यताएं
- अनुच्छेद 243 G पंचायतों की शक्तियां ,प्रा धकार और उत्तरदायित्व
- अनुच्छेद 243 H पंचायतों द्वारा कर अ धरो पत करने की शक्तियां और उनकी नि धयाँ
- अनुच्छेद 243 I वत्तीय स्थिति के पुन र्वलोकन के लए वत्त आयोग का गठन
- अनुच्छेद 243 J पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा
- अनुच्छेद 243 K पंचायतों के लए निर्वाचन
- अनुच्छेद 243 L संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना
- अनुच्छेद 243 M इस भाग का कतिपय क्षेत्र में लागू न होना
- अनुच्छेद 243 N वद्यमान व धयों और पंचायतों का बना रहना
- अनुच्छेद 243 O निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

YASHWANT SHILPKAR

- पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

  Answer :- जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना
- ● कसकी सफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई ?

  Answer :- बलवंत राय मेहता स मति
- पंचायती राज व्यवस्था कस पर आधारित है ?

  Answer :- सत्ता के वकेंद्रीकरण पर
- ● सं वधान के कस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है ?

  Answer :- भाग-9
- कसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है ?

  Answer :- नीति-निर्देशक सद्धांत
- ● पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है ?

  Answer :- राज्य निर्वाचन आयोग
- ● देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्स्थान के लए कौन-सा कार्यक्रम चलाया गया ?

  Answer :- सामुदायिक वकास कार्यक्रम
- ● भारत में सामुदायिक वकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ ?

  Answer :- 2 अक्टूबर, 1952
- ● पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है ?

  Answer :- ग्राम पंचायत
- ● बलवंत राय स मति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन-सी है ?

  Answer :- पंचायत स मति
- ● पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के दो स्तर होने का सुझाव कसने दिया था ?

  Answer :- अशोक मेहता स मति
- ● पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनि धत्व कौन करता है ?

  Answer :- ग्राम प्रधान

YASHWANT SHILPKAR

- ● पंचायती राज वषय कस सूची में है ?

  Answer :- राज्य सूची में
- ● कस संशोधन में महिलाओं के लए ग्राम पंचायत में एक-तिहाई सीटें आरक्षत की गईं ?

  Answer :- 73वें संशोधन में
- ● पंचायत चुनाव के लए उम्मीदवार की आयु कतनी होनी चाहिए ?

  Answer :- 21 वर्ष
- ● पंचायती राज संस्थाएँ अपनी नि ध हेतु कस पर निर्भर हैं ?

  Answer :- सरकारी अनुदान पर
- ● एक वकास खंड पर पंचायत समति कैसी होती है ?

  Answer :- एक प्रशासकीय अ भकरण
- ● भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्था पत हुआ ?

  Answer :- चेन्नई
- ● ग्राम पंचायतों की आय का स्त्रोत क्या है ?

  Answer :- मेला व बाजार कर
- ● पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कतना होता है ?

  Answer :- 5 वर्ष
- ● 73वें सं वधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लए कस प्रकार के चुनाव का प्रावधान कया गया ?

  Answer :- प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान
- ● पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है ?

  Answer :- राज्य सरकार
- ● पंचायत स मति की गठन कस स्तर पर होता है ?

  Answer :- प्रखंड स्तर पर
- ● यदि पंचायत को भंग कया जाता है तो पुनः निर्वाचन कतने समय के अंदर आवश्यक है ?

  Answer :- 6 माह

YASHWANT SHILPKAR

पंचायती राज – ग्राम पंचायत, पंचायत स मति और जिला परिषद्

भारतीय सं वधान में शासन चलाने से सम्बन्धित कुछ निर्देशक सद्धांतों का भी उल्लेख है. इन्हें Directive Principles of State Policy कहते हैं. इन सद्धांतों में से एक सद्धांत यह है क भारत की सरकार देश में ग्राम स्वशासन के दिशा में कार्रवाई करे. इस निर्देश के अनुपालन के लए 1992 में सं वधान में 73वाँ संशोधन कया गया. इस संशोधन के द्वारा देश में पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई. यह व्यवस्था त्रि-स्तरीय है- ग्राम पंचायत, पंचायत स मति और जिला परिषद्.

[alert-success]पंचायती राज (Panchayati Raj) व्यवस्था लागू करने करने के लए राज्यों अपने नियम एवं वनियम बनाने का अ धकार है. फलस्वरूप अलग-अलग राज्यों में पद के आरक्षण, कार्यकलाप आदि के प्रावधानों में व वधता देखी जा सकती है. यहाँ हम जिन प्रावधानों का उल्लेख करेंगे वे एक model के तौर पर है.[/ alert-success]

YASHWANT SHILPKAR

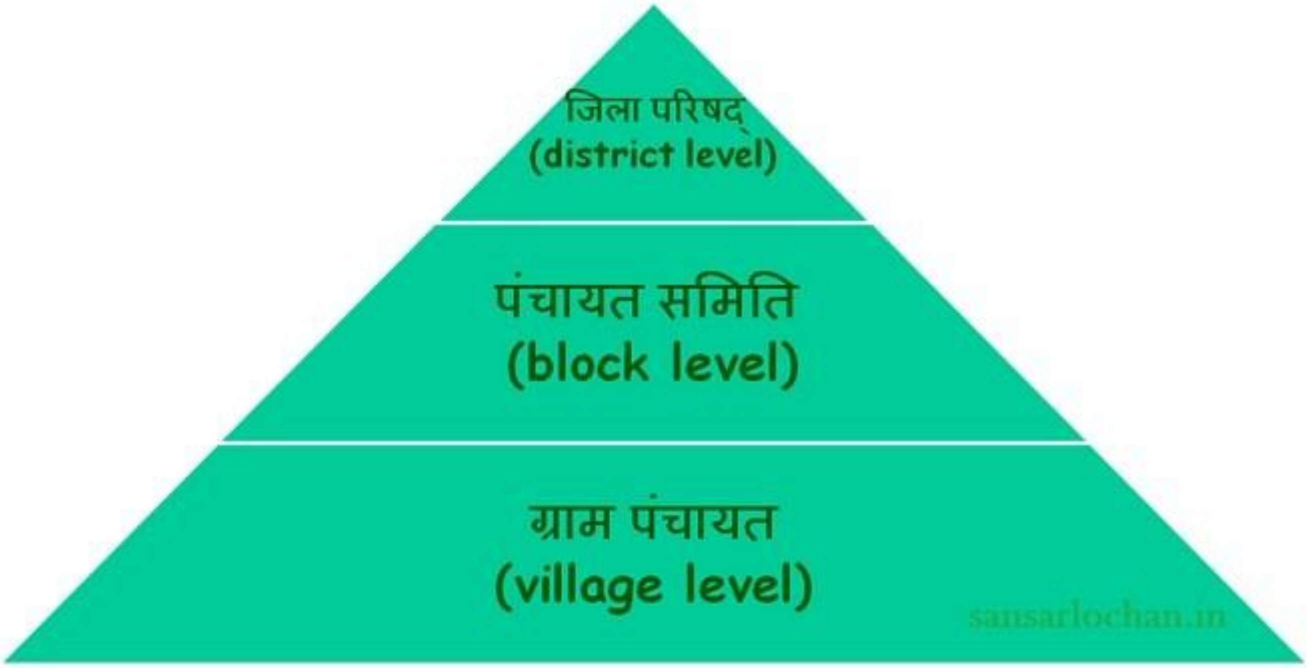

बलवंतराय मेहता स मति

भारत में “पंचायती राज” की स्थापना के उद्देश्य से ही भारत सरकार ने बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में एक स मति की नियुक्ति की थी. इस स मति ने भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लए लोकतंत्र की इमारत को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया. इसके लए उसने प्रजातांत्रिक वकेंद्रीकरण के सद्धांत को लागू करने की सफारिश की. इस स मति ने निम्न ल खत सुझाव दिए –

i) सरकार को अपने कुछ कार्यों और उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाना चाहिए और उन्हें एक ऐसी संस्था को सौंप देना चाहिए, जिसके क्षेत्रा धकार के अंतर्गत वकास के सभी कार्यों की पूरी जिम्मेदारी रहे. सरकार का काम सर्फ इतना रहे क ये इन संस्थाओं को पथ-प्रदर्शन और निरीक्षण करती रहे.

ii) लोकतंत्र की आधार शला को मजबूत बनाने के लए राज्यों की उच्चतर इकाइयों (जैसे प्रखंड जिला) से ग्राम पंचायतों का अटूट सम्बन्ध हो. इस लए प्रखंड और जिले में भी पंचायती व्यवस्था को अपनाना आवश्यक है.

iii) प्रखंड-स्तर पर एक निर्वा चत स्वायत्त शासन संस्था की स्थापना की जाए जिसका नाम पंचायत स मतिरखा जाए. इस पंचायत स मति का संगठन ग्राम पंचायतों द्वारा हो.

YASHWANT SHIL

iv) जिला-स्तर पर एक निर्वा चत स्वायत्त शासन संस्था की स्थापना की जाए जिसका नाम जिला परिषद् रखा जाए. इस जिला परिषद् का संगठन पंचायत स मतियों द्वारा हो.

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत का गठन – **Composition of Gram Panchayat**

a) सरपंच

ग्राम पंचायत की न्यायपा लका को ग्राम कचहरी कहते हैं जिसका प्रधान सरपंच होता है. सरपंच का निर्वाचन मु खया की तरह ही प्रत्यक्ष ढंग से होता है सरपंच का कार्यकाल **5** वर्ष है. उसे कदाचार, अक्षमता या कर्तव्यहीनता के कारण सरकार द्वारा हटाया भी जा सकता है. अगर 2/3 पञ्च सरपंच के वरुद्ध अ वश्वास प्रस्ताव पास कर दें तो सरकार सरपंच को हटा सकती है. सरपंच का प्रमुख कार्य ग्राम कचहरी का सभापतित्व करना है. कचहरी के प्रत्येक तरह के मुक़दमे की सुनवाई में सरपंच अवश्य रहता है. सरपंच ही मुकदमे को स्वीकार करता है तथा मुक़दमे के दोनों पक्षों और गवाहों को उपस्थित करने का प्रबंध करता है. वह प्रत्येक मुकदमे की सुनवाई के लए दो पंचों को मनोनीत करता है. ग्राम कचहरी की सफलता बहुत हद तक उसकी योग्यता पर निर्भर करती है.

b) मु खया

ग्राम पंचायत के अंतर्गत मु खया का स्थान महत्त्वपूर्ण है. उसकी योग्यता तथा कार्यकुशलता पर ही ग्राम पंचायत की सफलता निर्भर करती है. मु खया ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी स मति के चार सदस्यों को मनोनीत करता है. मु खया काकार्यकाल **5** वर्ष है. परन्तु, ग्राम पंचायत अ वश्वास प्रस्ताव पास कर मु खया को पदच्युत कर सकती है. पंचायत के सभी कार्यों की देखभाल मु खया ही करता है. मु खया अपनी कार्यकारिणी स मति की सलाह से ग्राम पंचायत के अन्य कार्य भी कर सकता है. ग्राम पंचायत में न्याय तथा शान्ति की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व उसी पर है. उसकी सहायता के लए ग्रामरक्षा दल भी होता है. उसे ग्राम-कल्याण कार्य के लए बड़े-बड़े सरकारी पदा धकारियों के समक्ष पंचायत का प्रतिनि धत्व करने भी अ धकार है. वह ग्रामीण अफसरों के आचरण के वरुद्ध शकायत भी कर सकता है.

c) पंचायत सेवक

YASHWANT SHILPKAR

प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक कार्यालय होता है, जो एक पंचायत सेवक के अधीन होता है. पंचायत सेवक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है. उसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन भी मलता है. ग्राम पंचायत की सफलता पंचायत सेवक पर ही निर्भर करती है. वह ग्राम पंचायत के के स चव के रूप में कार्य करता है और इस नाते उसे ग्राम पंचायत के सभी कार्यों के निरीक्षण का अ धकार है. वह मु खया/सरपंच तथा ग्राम पंचायत को कार्य-सञ्चालन में सहायता देता है. राज्य सरकार द्वारा उसका प्र शक्षण होता है. ग्राम पंचायत के सभी ज्ञात-अज्ञात प्रमाण पंचायत सेवक के पास सुर क्षत रहते हैं. अत: वह ग्राम पंचायत के कागजात से पूरी तरह परि चत रहता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पेश करता है. संक्षेप में, ग्राम पंचायत के सभी कार्यों के सम्पादन में उसका महत्त्वपूर्ण स्थान है.

d) ग्रामरक्षा दल

18 से 30 वर्ष के स्वस्थ युवकों से ग्रामरक्षा दल बनता है. गाँव की रक्षा के लए यह दल होता है, जिसका संगठन ग्राम पंचायत करती है. चोरी, डकैती, अगलगी, बाढ़, महामारी इत्यादि आकस्मिक घटनाओं के समय यह दल गाँव की रक्षा करता है. इसका नेता "दलपति" कहलाता है.

ग्राम पंचायत के कार्य

i) पंचायत क्षेत्र के वकास के लए वा र्षक योजनाएँ तैयार करना

ii) वा र्षक बजट तैयार करना

iii) प्राकृतिक आपदा में साहयता-कार्य पूरा करना

iv) लोक सम्पत्ति से अतिक्रमण हटाना

v) कृ ष और बागवानी का वकास और उन्नति

vi) बंजर भू म का वकास

vii) पशुपालन, डेयरी उद्योग और मुर्गीपालन

viii) चारागाह का वकास

ix) गाँवों में मत्स्यपालन का वकास

YASHWANT SHILPKAR

x) सड़कों के कनारे और सार्वजनिक भू म पर वृक्षारोपण

xi) ग्रामीण, खादी एवं कुटीर उद्योगों का वकास

xii) ग्रामीण गृह-निर्माण, सड़क, नाली पु लया का निर्माण एवं संरक्षण

xiii) पेय जल की व्यवस्था

xiv) ग्रामीण बिजलीकरण एवं गैर-परम्परागत ऊर्जास्रोत की व्यवस्था एवं संरक्षण

xv) प्राथ मक एवं माध्य मक वद्यालयों सहित शक्षा, वयस्क एवं अनौपचारिक शक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की व्यवस्था करना

xvi) ग्रामीण स्वस्थता, लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण कार्यक्रम, महिला एवं बाल वकास, वकलांग एवं मान सक रूप से मंद व्यक्तियों, कमजोर वर्ग खासकर अनुसू चत जाती एवं जनजाति के कल्याण-सबंधी कार्यक्रमों को पूरा करना

xvii) जन वतरण प्रणाली की उ चत व्यवस्था करना

xviii) धर्मशालाओं, छात्रवासों, खातालों, कसाईखानों, सार्वजनिक पार्क, खेलकूद का मैदान, झोप ड़यों का निर्माण एवं व्यवस्था करना

ग्राम पंचायत की आय के स्रोत क्या हैं?

ग्राम पंचायत की आय के निम्न ल खत साधन हैं– – –

i) भारत सरकार से प्राप्त अंशदान, अनुदान या ऋण अथवा अन्य प्रकार की नि धयाँ

ii) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त चल एवं अचल सपंत्ति से प्राप्त आय

iii) भूराजस्व एवं सेस से प्राप्त रा शयाँ

iv) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंशदान, अनुदान या ऋण सबंधी अन्य आय

v) राज्य सरकार की अनुमति से कसी निगम, निकाय, कम्पनी या व्यक्ति से प्राप्त अनुदान या ऋण

YASHWANT SHILPKAR

vi) दान के रूप में प्राप्त रा शयाँ या अंशदान

vii) सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोत

पंचायत स मति

बलवंतराय स मति की अनुशंसा के अनुसार पंचायती राज के लए प्रखंड स्तर पर भी ग्राम स्वशासन की व्यवस्था की गई है. प्रखंड स्तर पर गठित निकाय पंचायत स मति कहलाता है. प्रत्येक प्रखंड (Development Block) में एक पंचायत स मति की स्थापना होती है जिसका नाम उसी प्रखंड के नाम पर होता है. राज्य सरकार को पंचायत स मति के क्षेत्र को घटाने-बढ़ाने का अ धकार होता है.

सदस्य

i) प्रखंड की प्रत्येक पंचायत के सदस्यों द्वारा निर्वा चत दो सदस्य होंगे. जनसंख्या के आधार पर अनुसू चत जाति एवं अनुसू चत जनजाति के लए स्थान अर क्षत रहेंगे. आर क्षत पदों में भी तीस प्रतिशत पद अनुसू चत जाति एवं अनुसू चत जनजाति के लए अर क्षत रहेंगे. यदि दो ही पद आर क्षत हों तो एक महिला के लए आर क्षत रहेगा. अनार क्षत पदों में भी 50% स्थान महिलाओं के लए आर क्षत रहेंगे.

ii) पंचायत स मति के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत का मु खया पंचायत स मति का सदस्य होगा.

iii) प्रखंड के अंतर्गत चुनाव क्षेत्रों द्वारा निर्वा चत राज्य वधान सभा और संघीय लोक सभा के सभी सदस्य होंगे.

iv) वधान परिषद् और संघीय राज्य सभा के वे सभी सदस्य,जो उस प्रखंड के निवासी हों.

सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा. यदि पदेन सदस्य इस पद पर नहीं रहे जिस पद के अ धकार से वह सदस्य बना हो,तो वह पंचायत स मति का सदस्य नहीं भी रह सकेगा. राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त कारणों से यथासमय निर्वाचन नहीं होने की स्थिति में पंचायत स मति के निर्वा चत पदधारकों की पदाव ध पाँच वर्षों की अव ध के अतिरिक्त छह मास तक बढ़ाई जा सकेगी.

YASHWANT SHILPKAR

वही व्यक्ति पंचायत स मति का सदस्य हो सकेगा, जो –

a) भारत का नागरिक हो

b) 25 वर्ष की आयु का हो

c) सरकार के अन्दर कसी लाभ के पद पर न हो.

स्थाई स मतियाँ

पंचायत स मति के कार्यों का सम्पादन स्थाई स मतियों द्वारा होगा जिनमें निम्न ल खत प्रमुख स मतियाँ होंगी –

a) कृ ष, पशुपालन, लघु संचाई और सहकारिता स मति

b) शक्षा स मति जिसमें समाज- शक्षा, स्थानीय कला और शल्प, लघु बचत तथा कुटीर उद्योग और शक्षा आदि होंगे

c) सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई स मति, यातायात और निर्माण स मति

d) आ र्थक और वत्तीय स मति

e) समाज कल्याण स मति इत्यादि

राज्य सरकार और जिला परिषद् की अनुमति से पंचायत स मति अन्य स्थाई स मतियों का निर्माण कर सकती है. प्रत्येक स्थाई स मति में 5-7 तक सदस्य होंगे. सदस्यों का निर्वाचन पंचायत स मति अपने सदस्यों में से ही करती है. प्रमुख को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति दो स्थाई स मतियों से अ धक का सदस्य नहीं होता. स मति के सदस्य स मति के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं. आ र्थक और वत्त स मति का अध्यक्ष पंचायत स मति का प्रमुख होता है. प्रखंड वकास पदा धकारी स्थाई स मतियों का स चव होता है. स मतियों का काम अपने वषयों से सम्बद्ध पंचायत स मति के सारे कार्य संपादित करना है. इस तरह की स मति अपने कार्यों के सम्पादन हेतु B.D.O. से कोई कागज़ माँग सकती है, जिसे बी.डी.ओ. को देना पडेगा.

YASHWANT SHILPKAR

प्रमुख और उपप्रमुख

प्रत्येक पंचायत स मति में एक प्रमुख और एक उपप्रमुख होगा, जिनका निर्वाचन पंचायत स मति के सदस्य करेंगे, ले कन कोई सह-सदस्य इन पदों के लए उम्मीदवार नहीं हो सकता. प्रमुख पंचायत स मति का अध्यक्ष होता है. उसका कार्यकाल पाँच वर्ष है. पंचायत स मति अ वश्वास का प्रस्ताव (No-confidence motion) पास करके और राज्य सरकार आदेश जारी करके प्रमुख और उपप्रमुख को पदच्युत कर सकती है. जिला परिषद् का अध्यक्ष या व्यवस्था पका का सदस्य निर्वा चत होने पर प्रमुख को अपना पद छोड़ना होगा.

प्रमुख को अनेक अ धकार दिए गए हैं. पंचायत स मति की सभा बुलाना, उसके अध्यक्ष का आसन ग्रहण करना प्रमुख का काम है. वह पंचायत स मति के कार्यों का सञ्चालन करता है, उनका निरीक्षण करता है और उसके कार्यकलाप की रिपोर्ट स मति को देता है. वह प्रखंड वकास पदा धकारी के कार्यों की भी निगरानी करता है और पंचायत स मति के कार्यों की रिपोर्ट राज्य सरकार को देता है. संकटकाल में वह प्रखंड पदा धकारी के परामर्श से आवश्यक कार्यवाही कर सकता है. प्रमुख की अनुपस्थिति में उसके सारे कार्यों का सम्पादन उपप्रमुख द्वारा होता है.

प्रखंड वकास पदा धकारी

प्रखंड वकास पदा धकारी पंचायत स मति का पदेन स चव (Secretary) होगा और उसका काम पंचायत स मति के प्रस्तावों को कार्यान्वित करना होगा. प्रमुख की अनुमति से वह पंचायत स मति की बैठक बुलाएगा और उसकी कार्यवाही का रिकॉर्ड रखेगा. पंचायत स मति की बैठक में उसे भाग लेने का अ धकार है, क न्तु मतदान करने का उसे अ धकार नहीं है. वह पंचायत स मति के वत्त का प्रबंध करेगा. उसे आपातकालीन शक्तियाँ भी दी गई हैं. प्रमुख और उपप्रमुख की अनुपस्थिति में यदि कोई संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो, तो वह आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा और उसकी सूचना जिलाधीश (District Magistrate/Commissioner) को देगा.

पंचायत स मति के कार्य

पंचायत स मति को अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी वकास-कार्यों के सम्पादन का अ धकार दिया गया है. ग्राम पंचायतों, सहकारी स मतियों आदि की मदद से पंचायत स मति ग्रामीण क्षेत्र के वकास के लए कोई भी आवश्यक कार्य कर सकती है. पंचायत स मति के कार्य निम्न प्रकार के के होते हैं – –

YASHWANT SHILPKAR

a) शक्षा-सम्बन्धी कार्य

b) स्वास्थ्य-सम्बन्धी कार्य

c) कृ ष-सम्बन्धी कार्य

d) ग्रामोद्योग- सम्बन्धी कार्य

e) आपातकालीन कार्य

पंचायत स मति की आय के साधन

पंचायत स मति की आय के निम्न ल खत साधन हैं-

a) जिला परिषद् से प्राप्त स्थानीय सेस, भूराजस्व का अंश और अन्य रकम

b) कर, चुंगी, अ धभार (surcharge) और फीस से प्राप्त आय

c) सार्वजनिक घाटों, मेलों, हाटों तथा ऐसे ही अन्य स्रोतों से आनेवाली आय

d) वैसे अंशदान या दान, जो जिला परिषदों, ग्राम पंचायतों, अ धसू चत क्षेत्र स मतियों, नगरपा लकाओं यान्यासों एवं संस्थाओं से प्राप्त हो

e) भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त अंशदान या अनुदान या ऋण सहित अन्य प्रकार की नि धयाँ

f) अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण आदि

जिला परिषद्

प्रत्येक जिला में एक परिषद् की स्थापना होगी. जिला परिषद् के निम्न ल खत सदस्य होंगे-

i) क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वा चत सदस्य. प्रत्येक सदस्य जिला परिषद् क्षेत्र की यथासंभव 50,000 की जनसंख्या के निकटतम का प्रतिनि धत्व करेगा. निर्वा चत सदस्यों की संख्या जिला धकारी द्वारा निश्चित की जाएगी. प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य निर्वा चत कया जाएगा.

ii) जिले की सभी पंचायत स मतियों के प्रमुख.

YASHWANT SHILPKAR

iii) लोक सभा और राज्य वधान सभा के वैसे सदस्य जो जिले के कसी भाग या पूरे जिले का प्रतिनि धत्व करते हों और जिनका निर्वाचन क्षेत्र जिले के अंतर्गत पडता हो.

iv) राज्य सभा और राज्य वधान परिषद् के वैसे सदस्य जो जिले के अंतर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हो.

स्थानों का आरक्षण

निर्वा चत सदस्यों के लए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है. अनुसू चतजा,तिअनुसू चत जनजाति एवं पछडे वर्गों के लए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई है. आर क्षत स्थानों 1/3 भाग अनुसू चत जाति,अनुसू चत जनजाति एवं पछडे वर्ग को महिलाओं के लए आर क्षत रहेंगे. इसके अतिरिक्त पंचायत स मति में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जानेवाले स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान महिलाओं के लए आर क्षत रहेंगे.

बैठक

जिला परिषद् की कम-से-कम तीन माह में एक बार अवश्य बैठक होगी. गठन के बाद जिला परिषद् की पहली बैठक की ति थ जिला धकारी द्वारा निश्चित की जाएगी जो उस बैठक की अध्यक्षता भी करेगा. कुल सदस्यों के पाँचवें भाग द्वारा माँग कये जाने पर 10 दिनों के अंतर्गत जिला परिषद् की वशेष बैठक बुलाई जा सकती है.

कार्यकाल

जिला परिषद् का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक की निर्धारित ति थ से अगले पांच वर्षों तक का निश्चित कया गया है.

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

जिला परिषद् के निर्वा चत सदस्य यथाशीघ्र अपने में से दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में निर्वा चत करेंगे. अध्यक्ष-पद के लए भी अनुसू चत जा,तिअनुसू चत जनजाति जनजाति और पछडे वर्ग के लए स्थान आर क्षत रखने की व्यवस्था की गई है. अध्यक्ष के आर क्षत पदों की संख्या का अनुपात यथासंभव वही होगा जो राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसू चत जाति,अनुसू चत जनजाति एवं पछडे वर्ग की जनसंख्या का अनुपात होगा. अध्यक्ष-पद के लए महिलाओं के लए भी कम-से-कम 1/3 स्थान स्थान अर क्षत रखे गये हैं. जिला परिषद् की बैठक बुलाने, उसकी अध्यक्षता करने एवं उसका सञ्चालन करने का अ धकार

YASHWANT SHILPKAR

अध्यक्ष का ही है. इसके अतिरिक्त जिला परिषद् के सभी पदा धकारियों एवं कर्मचारियों पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखना, जिला परिषद् की कार्यपा लका एवं प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण रखना, जिले में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभा वत लोगों को राहत दिलाना इत्यादि उसके मुख्य कार्य हैं.

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही जिला परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करता है. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अथवा एक महीने से अ धक की अव ध के लए अवकाश पर रहने की स्थिति में अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निर्वहण वही करता है.

स्थाई स मतियाँ

जिला परिषद् में कुछ स्थाई स मतियाँ होती हैं जैसे सामान्य स मति, वत्त अंकेक्षण एवं एवं योजना स मति, सामजिक न्याय स मति, शक्षण एवं स्वास्थ्य स मति, कृ ष एवं उद्योग स मति. प्रत्येक स मति में अध्यक्षसहितपाँच सदस्य होते हैं. जिला परिषद् इससे अ धक सदस्यों की संख्या भी निश्चित कर सकती है. सदस्यों का चुनाव जिला परिषद् के निर्वा चत सदस्यों में से कया जाता है. जिला परिषद् का अध्यक्ष सामान्य स्थाई स मति तथा वत्त अंकेक्षण(finance audit) एवं योजना स मति का पदेन सदस्य और इसका अध्यक्ष भी होता है. उपाध्यक्ष सामजिक न्याय स मति का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष होता है.

अन्य स्थाई स मतियाँ अपने अध्यक्ष का चुनाव अपने बीच के सदस्यों में से करती है. व भन्न स मतियाँ व भन्न प्रकार के कार्यों को सम्पन्न करती हैं.

मुख्य कार्यपालक पदा धकारी

जिला धकारी की श्रेणी का पदा धकारी जिला परिषद् का मुख्य कार्यपालक पदा धकारी होता है जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है. मुख्य कार्यपालक पदा धकारी जिला परिषद् की नीतियों और निर्देशों को कार्यान्वित करेगा और जिला परिषद् के सभी कार्यों और वकास योजनाओं के शीघ्र निष्पादन हेतु आवश्यक कदम उठाएगा. अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण तथा अन्य पदा धकारियों और कर्मचारी पर नियंत्रण रखेगा, जिला परिषद् से सम्बन्धित सभी कागजात एवं दस्तावेजों को सुर क्षत रखेगा तथा अन्य सौंपे गए कार्यों को पूरा करेगा. उसे जिला परिषद् की बैठकों में भाग लेने का अ धकार है. वह बैठक में वचार- वमर्श कर सकता है तथा कोई प्रस्ताव रख सकता है, परन्तु मतदान में भाग नहीं ले सकता है.

YASHWANT SHILPKAR

जिला परिषद् के कार्य

i) कृ ष-सबंधी

ii) पशुपालन-सबंधी

iii) उद्योग-धंधे-सबंधी

iv) स्वास्थ्य-सम्बन्धी

v) शक्षा-सम्बन्धी

vi) सामजिक कल्याण एवं सुधार सम्बन्धी

vii) आवास-सम्बन्धी

viii) अन्य कार्य- ग्रामीण बिजलीकरण, वृक्षारोपण, ग्रामीण सडकों का निर्माण, ग्रामीण हाटों और बाजारों का अ धग्रहण,वा षक बजट बनाना इत्यादि.

YASHWANT SHILPKAR

मध्यप्रदेश में ग्रामीण अ भशासन

भू मका

अक्सर जब भी हम गांवों के स्तर पर शासन व्यवस्था या स्वशासन की चर्चा करते हैं तो वह चर्चा सं वधान के तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संशोधन से ही शुरू होती है। थोड़ा ज्यादा वस्तार दें तो बात26 जनवरी 1949 से स्वतंत्रता के बाद लागू हुये सं वधान तक पहुंचती है परन्तु व्यवहारिक संदर्भों में यह जानने की को शशें कम ही हुई हैं क सं वधान बनाने वालों ने स्थानीय शासन व्यवस्था की प्रणाली को क्या स्वयं खोजा था या फर भारत की ऐतिहा सक व्यवस्था का वश्लेषण करते हुये उन्होंने इसे एक सटीक और लोकोन्मुखी व्यवस्था के रूप में स्वीकार कया था। बहुत स्पष्ट सी बात है क यदि सं वधान भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य और जनकल्याण्कारी राज्य की संज्ञा देता है तो स्वाभा वक है क उसे लोगों द्वारा संचा लत राज्य व्यवस्था का वकल्प ही अपनाना पड़ेगा।

यह बात सही है क आज की ग्रामीण शासन व्यवस्था सं वधान की दी हुई परिभाषा और उसके आधार बने कानून से संचा लत होती है कन्तु यह भी उतनी ही सही बात है क अभी भी यह स्थानीय शासन व्यवस्था व्यवस्था राज्य और केन्द्र सरकारों के अ धपत्य में काम करती हैं। इसे लोगों की सत्ता कहना अभी नहीं है क्यों क लोगों के वकास की परिभाषा और रूपरेखा क्या होगी यह अब भी राज्य और केन्द्र सरकारें

ही तय करती हैं। वकास के लये चूंक संसाधनों पर भी इन्हीं उच्च स्तरीय सरकारों का नियंत्रण है इस लये इस लये गांव के लोगों को आत्मनिर्भर नहीं माना जा सकता है। यह एक सच्चाई है क स्वतंत्र भारत की सरकारों ने कभी भी एक सक्षम स्थानीय शासन व्यवस्था की स्थापना की मंशा नहीं दिखाई। अपेक्षा यह रही है क एक राजनैतिक ढांचा बने जो केन्द्रीयकृत व्यवस्था का गांव के स्तर पर प्रतिनि धत्व करें। हमारा हमारा समाज कतना पुराना है यह एक इतिहास से जुड़ा हुआ वषय हो सकता है। परन्तु जितना पुराना इतिहास हमारे समाज का है उतना ही पुराना इतिहास स्थानीय शासन व्यवस्था का भी है। हमेशा गांव शासन-प्रषासन की सबसे पुरानी और बुनियादी इकाई रहा है। और पंचायत व्यवस्था का कसी न कसी रूप रूप में हमें उल्लेख मलता है। और इसी ऐतिहा सक वास्त वकता के आधार पर सं वधान में एक त्रिस्तरीय ग्रामीण शासन व्यवस्था की भू मका बांधी गई। संवैधानिक रूप से इस व्यवस्था को स्वीकार कये जाने के बाद सबसे पहले इसे कानूनी रूप देने की पहल राजस्थान में हुई। वहां 2 सतम्बर 1959 को राजस्थान वधानमण्डल ने पंचायत स मति और जिला परिषद अ धनियम पारित कया। इसके ठीक एक माह बाद भारत भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखीं। इसके बाद धीरे-धीरे देश के दूसरे राज्यों में भी पंचायती राज कानून बने।

ग्रामीण शासन व्यवस्था को व्यावहारिक रूप से लागू करने के लये सबसे पहले जनवरी,1957 में बलवंतराय मेहता स मति गठित की गई। इस स मति ने अ धकारों एवं दायित्वों का वकेन्द्रीकरण करने की सफारिश की। स मति ने कहा क वकास का काम पंचायतें करें और सरकार मार्गदर्शक की भू मका निभाने के साथ-साथ उच्च स्तर पर योजना का निर्माण करें। इसी स मति की सफारिश के आधार पर ग्राम स्तरीय संस्था का नाम पंचायती राज संस्था कया गया है। इसके बाद 12 सतम्बर 1997 को अशोक मेहता स मति फर 1985 में राव स मति और बाद में डॉ. एल.एम. संघवी स मति का गठन कया गया। इसके उपरांत सं वधान के 73वें संशोधन के अनुरूप मध्यप्रदेश ने 'मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अ धनियम-1993' बना जो 25 जनवरी 1994 से लागू हुआ।

पंचायती राज अ धनियम की मूल भावना

यह कल्पना की गई है क गांव की शासन व्यवस्था तथा उनसे जुड़े सरकारी तंत्र का कार्यकारी नियंत्रण अब पंचायतों के हाथ में होगा। साथ ही सरकारी योजनाओं के क्रयान्वयन में भी उनकी अहम् भू मका होगी। यह योजनायें सरकार तय और लागू करेगी। सबसे अहम् बात यह है क निगरानी का दायित्व भी पंचायतों के पास है। वे नजर रखेंगे क वकास कार्य ठीक से हो रहे हैं अथवा नहीं। (यदि ठीक से नहीं हो रहे हैं तो उन्हें कार्यवाही नहीं करने का अ धकार है।

मूलतः पंचायती राज व्यवस्था को एक न्यायमूलक शासन व्यवस्था के रूप में स्वीकार की जाती थी कन्तु अब पंचायतों को वकास की एजेंसी के रूप में पहचाना जाता है जो लोगों को न्याय दिलाने में कं चत मात्र मात्र भी भू मका नहीं निभाती है। मध्यप्रदेश में सत्ता का वकेन्द्रीकरण एक राजनैतिक प्रयोग का वषय रहा रहा है। 1993 में सत्ता के आने के बाद दिग्विजय संह ने अपनी रू च से इस प्रयोग को जोड़ा। दस साल वे सत्ता में रहे जब तक कुल 25 परिवर्तन पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अ धनियम में हुये। वे दलीय

YASHWANT SHILPKAR

राजनीति के वस्तार के लये पंचायती राज का उपयोग कर रहे थे। हम सभी जानते हैं क पंचायत के चुनाव चुनाव दलीय आधार पर नहीं कराये जाते हैं परन्तु उन्होंने यह को शश शुरू की क ये चुनाव भी राजनैतिक राजनैतिक दलों की पहचान और चुनाव चन्ह के आधार पर हो। कुछ कारणों से ग्राम पंचायतों में तो ऐसा नहीं हो पाया कन्तु शहरी नगर निकायों में ऐसा होने लगा। इसके बाद सत्ता में आने वाले राजनैतिक दल (भारतीय जनता पार्टी) की इस व्यवस्था में कोई ठोस रू च नहीं रही। अब चूं क यह एक संवैधानिक व्यवस्था है इस लये इसे सरे से तो नहीं नकारा जा सकता परन्तु इसकी उपेक्षा तो की ही जा सकती है।जो जो वर्तमान सरकार कर रही है।

मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था

राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। जिला स्तर पर जिला पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत की व्यवस्था की गई है। गांव के स्तर पर ग्रामसभा की व्यवस्था है और दो-तीन (या कहीं-कहीं) ग्रामसभा यानी गांवों को मलाकर पंचायतों का गठन कया गया है। ग्राम पंचायतों के गठन के लये कुल मलाकर एक हजार की आबादी होना जरूरी है। पंचायत में एक सरपंच, एक उपसरपंच और हर वार्ड से एक पंच का चुनाव गांव /गांव के मतदाता करते हैं। सरपंच का चुनाव सभी मतदाता सीधे मतदान करके करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में बदलाव और परिवर्तनों का दौर बहुत निय मत रूप से चलता रहा है। पहले की व्यवस्था में ग्रामसभा में कानूनी रूप से आठ स मतियाँ (ग्राम वकास, संपदा, कृ ष, स्वास्थ्य, ग्रामरक्षा, षक्षा, न्याय, अधोसंरचना) गठित की जाती थी। इन स मतियों के 12 तक सदस्य हो सकते थे। यानी हर गांव में 96 तक लोग कसी न कसी स मति के सदस्य हो सकते थे। यह व्यवस्था बहुत सफल होती नहीं दिखी क्यों क वास्तव में सरकार के स्तर पर सोची गई व्यवस्था को गांव के लोग पालने के लये मजबूर थे। कई सालों में गांव के लोगों को यह भी पता नहीं चल पाया क वे कौन-सी स मति के सदस्य हैं; स मति की स क्रयता तो बहुत दूर की बात ही रही।

राज्य में सत्ता बदली तो वकेन्द्रीकरण का रूप भी बदल गया। अब आठ स मतियों को हटाकर दो स मतियाँ बनाने का नियम लागू कर दिया गया। पहली स मति ग्राम वकास स मति और दूसरी ग्राम निर्माण स मति। यह परिवर्तन बहुत ववादों में रहा क्यों क सरकार ने तय कया क ग्राम निर्माण स मति का अध्यक्ष और पंचायत का स चव को चैक पर हस्ताक्षर कर धन का आहरण करने का अ धकार होगा। सरपंच को केवल राजनैतिक मु खया ही रहने दिया गया। इस पर सरपंचों ने अपने-अपनेपदछोड़देनेकीधम कयाँतकदीं।

पंचायतों को संसाधन

पंचायतों - ग्रामसभा को दो स्रोतों से आमदनी होने की व्यवस्था है। एक व्यवस्था तो है राज्य और केन्द्र सरकार से व भन्न योजनाओं के अन्तर्गत उन्हें धन प्राप्त हो और दूसरी व्यवस्था है स्वयं के स्थानीय संसाधन वक सत करना। अ धकार और दायित्व को यदि तुलनात्मक नजरिये से देखा जाये तो पता चलता चलता है क पंचायतों को जितने अ धकार दिये गये हैं उनके क्रयान्वयन की डोर कहीं ओर बंधी हुई है।

YASHWANT SHILPKAR

ग्रामसभा से अपेक्षा की गई है क वह अपने वकास के लए स्वयं से संसाधनों की खोज करे। इसके लए पंचायत एवं ग्राम स्वराज अ धनियम की धारा7 के अनुसार ग्राम पंचायत भू-राजस्व, उपकर, चराई फीस, शाला भवन उपकर से धन कमाया जा सकता है। गांव के स्तर पर ग्रामीणों पर करों का बोझ डालना राजनैतिक और मानवीय दोनों ही स्तरों पर अव्यवहारिक माना जा सकता है। यह बहुत ही व्यापक अनुभव रहा है क ग्राम पंचायतें और ग्राम सभायें इस तरह की कर नहीं लगा पाई हैं।

इसके साथ एक अनसुलझा हुआ सवाल यह है जो भी संसाधन पंचायतों के स्तर पर आते हैं उनका ग्रामसभाओं के बीच कैसे बंटवारा होगा इसके बारे में नियम और प्र क्रया में बहुत स्पष्टता नहीं है।

पंचायतों की स्वीकार्यता

पंचायती राज व्यवस्था में यह प्रावधान कया गया है क ग्रामसभायें गांव के वकास के लये वचार करेंगी और प्रस्ताव पारित करके पंचायतों के जरिये जनपद और जिला पंचायत को प्रे षत करेंगी। मकसद यह है क ग्रामसभा अपने वकास की रूपरेखा बनाये और जिला स्तरीय पंचायत उसे क्रयान्वित करने में मदद करेगी कन्तु उन प्रस्तावों पर अमल तो दूर उनकी स्वीकृति-अस्वीकृति की सूचना भी ग्रामसभा या पंचायतों को नहीं दी जाती हैं हर साल निर्धारित कामों के लये पंचायतों को संसाधन और निर्देश दिया जाता है।

ग्रामसभा अपनी जरूरत के अनुसार सर्वसम्मति से गांव के आ र्थक और सामाजिक वकास की योजनायें बनाने के लए सक्षम है। यह योजना प्रस्ताव के रूप में पंचायत के जरिये जनपद और पंचायत को भेजी जायेगी। ग्रामसभा को दिये गये इस अ धकार में यह सुनिश्चित नहीं कया गया है क जनपद और जिला पंचायत इन प्रस्तावों को स्वीकार करने के लये बाध्य है।

सरपंचों की स्थिति

पंचायतों में सरपंच बनने के पीछे दो तरह की मंशायें हो सकती हैं; सरपंच बनने की इच्छा इस लये भी हो सकती है क व्यक्ति पंचायत का वकास और गांव के समुदाय को राजनैतिक नेतृत्व करना चाहता है या फर भ्रष्टाचार की मंशा यानी निजी स्वार्थों की पूर्ति करना। परन्तु पंचायती राज व्यवस्था वास्त वक संदर्भों में लोगों की प्रतिनि ध संस्था नहीं बन पाई है। यह केवल जिला प्रशासन की सोच को गांव में लागू करने वाली एजेंसी बनकर रह गई हैं पंचायत को कतने संसाधन कस काम के लये मलेंगे यह प्रशासन ही तय करता है इस लये वह गांव की जरूरत के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है और फर समुदाय की नजरों में निरर्थक नेता सध्द होता है। बात केवल संसाधनों तक ही सी मत नहीं है। यह समझ पाना बड़ा ही कठिन है क चुने हुये जनप्रतिनि ध को पद से हटाने का अ धकार एक प्रशासनिक अ धकारी (अनु वभागीय दण्डा धकारी यानी एसडीएम) को कैसे दिया गया? मध्यप्रदेश के पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज अ धनियम की धारा 40 के अन्तर्गत एसडीएम पंचायत के प्रथम नागरिक यानी सरपंच को पद से हटाने का नोटिस दे सकता है और कार्रवाई कर सकता है। क्या प्रधानमंत्री को केबिनेट स चव या मुख्य मंत्री को मुख्य स चव पद से हटा सकता है? मध्यप्रदेश में पछले सात सालों में 1200सेज्यादाऐसेहीप्रकरणसामनेआयेहैं।

YASHWANT SHILPKAR

मध्यप्रदेश में अभी की स्थिति में 23051 सरपंच हैं जिन्हें मानदेय के रूप में 150 रूपये प्रतिमाह की रा श मलती है और औसतन उन्हें दो बार जिला और 4 बार जनपद पंचायत जाना पड़ता है। पंचायतों में जब काम के बदले आज कार्यक्रम और ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लए निगरानी करते हुये सौ दिन खर्च करने पड़ते हैं परन्तु उन्हें कोई प्रोत्साहन मानदेय नहीं मलता है। प्रदेष में व्यवस्था ही ऐसी बनी हुई है क ज्यादा मेहनत और जिम्मेदारी निर्वहन करने वाले कर्मचारियों और जन प्रतिनि धयों की बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज कया जाता है।

अब सरपंच पंचायती राज व्यवस्था में खुद वश्वास खोने लगे हैं। पंचायतें वकास के लये हैं और वकास के काम के लये संसाधन लाने के लये उन्हे कुल रा श का 15 से 20 फीसदी रा श कमीशन के रूप में देना पड़ती है। इसके बाद जब उपयंत्री मूल्यांकन करता है तो वहां भी उसे सेवाशुल्क देना होता है; क्या सरपंच यह रा श निजी खाते से चुकायेगा। मध्यप्रदेश में तो बैतूल जिले में दु खया बाई नामक महिला सरपंच को तो आत्मदाह करना पड़ा। हरदा जिले की हनीफाबाद पंचायत की सरपंच श्रीमती गायत्री बाई ने पंचायत के वकास कार्य के लये चार सरकारी अ धकारियों और एक जनप्रति ध को 28 हजार रूपये की रिश्वत दी; चूं क काम पंचायत का था इस लये उन्होंने यह रा श लेखा खातों में दर्ज करके ग्रामसभा के सामने रख दिया। शायद यही श्रेष्ठतम वकल्प भीहै।

क्षमतावृध्दि की वास्त वकता

सरपंच के प्र शक्षण के लये सरकारी व्यवस्था है। यह प्र शक्षण की प्र क्रया चुनाव के तत्काल बाद ही शुरू हो जाती है। सरपंचों को कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों के बारे में प्र श क्षत कया जाता है परन्तु अब इन प्र शक्षण्ाोंं के प्रति एक कस्म की उदासीनता बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन सरपंच एवं पंचायत प्रतिनि धयों का प्र शक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें वे मुख्य कार्यपालन अ धकारी और जिला कलेक्टर के दबाव में उपस्थित होते हैं। जैसे ही वे देखते हैं क अफसर का प्रस्थान हो गया है वैसे ही वे भी रवानगी डाल लेते हैं।

पंचायती राज व्यवस्था में निय मत रूप से इतने बड़े-बड़े बदलाव होते रहते हैं क एक बदलाव की सूचना उन तक पहुंचती नहीं है क दूसरा परिवर्तन हो जाता है। आमतौर पर परिवर्तन की जानकारी पंचायत स चव तक तो पहुंच जाती है कन्तु स चव से पंच- सरपंच तक नहीं पहुंचती है। पंचायत स चव पंचायत में प्रशासन का प्रतिनि धत्व करते हैं और उन्हें प्र श क्षत करके सखाया गया है क सूचना - जानकारी ही ताकत है इस लये ताकत को अपने तक ही सी मत रखें।

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है क निरक्षर सरपंच और महिला सरपंच व्यवस्था की पीड़ा को ज्यादा गहराई गहराई से महसूस कर रहे हैं। इन जनप्रतिनि धयों का स्थानीय प्रभावशाली लोग स चव और अ धकारी बखूबी बखूबी उपयोग कर रहे हैं। वदिशा की गोबरहेला पंचायत के सरपंच को इसी कारण जेल की हवा खाना पड़ी पड़ी और अध्यक्ष के दबाव में एक ठेकेदार को पंचायत भवन बनाने के लये चेक पर अंगूठा लगाकर पचास

YASHWANT SHILPKAR

पचास हजार रूपये का भुगतान करना पड़ा। भुगतान होने के बाद काम न होने पर सरपंच से रिकवरी हुई जिसके लए उसे अपनी आठ बीघा जमीन बेचनी पड़ी।

जवाबदेहिता और पारद र्षता का अभाव

कानून व्यापक स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण की वकालत करता है कन्तु 13 सालों में इसका एक भी उदाहरण नहीं मलता है। कहीं भी ग्रामसभा ने पंचायतों से सवाल-जवाब नहीं कया कभी भी निर्माण कार्य की गुणवत्ता और उपयो गता का मूल्यांकन नहीं कया गया क्यों क केवल अ धकार देना पर्याप्त नहीं है बल्कि अ धकार सम्पन्न होने का अहसास करवाना भी जरूरी है। राजनैतिक प्रतिबध्दता के अभाव में भी सवाल-जवाब की प्र क्रया शुरू नहीं हुई। वास्तव में स्थानीय सत्ता में आने के बाद आमतौर पर सरपंच और स मतियों के अध्यक्ष यह सोचते हैं क इस अवसर का लाभ अ धकारियों और बड़े नेताओं के साथ सम्बन्ध बनाने के अवसर के रूप में स्वीकार कया। वे मानते है। क वधायक,जिला पंचायत अध्यक्ष, पु लस इंस्पेक्टर और एसडीएम के साथ मेलजोल बढ़ाने से ज्यादा फायदा मलेगा। गांव के स्तर पर सहभा गता, बैठक और क्षमता बढ़ाने से कुछ खास हा सल नहीं होगा। पंचायती राज में पंचायत प्रतिनि धयों और जिला-जनपद के अफसरों के बीच तालमेल बढ़ा है। जिससे गांव के सार्वजनिक हित नकारात्मक रूप से प्रभा वत हुये हैं। ऐसा नहीं है क इस मलीभगत का पर्दाफाश नहीं हुआ। जब भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं सरपंच ही निशाने पर आता है क्यों क उसे कानून अ धकार सम्पन्न होने का भ्रम पैदा करता है। दिक्कत यह भी है क पंचायतों ने भी पारद र्शता की व्यवस्था को स्वप्रेरणा से नहीं अपनाया। वे भी गांव की वृध्द- वधवा महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अरू च दिखाने लगे क्यों क बजट ही इतना कम और अनिय मत रूप से आवंटित होता है क वह भी कुछ नहीं कर सकते हैं।व्यवस्था गड़बड़ ही होती है राज्य के स्तर पर गांव के लोग हर मामले में सरपंच को ही भ्रष्टाचारी मानते हैं इस व्यवस्था ने समुदाय और जनप्रतिनिधयों को एक-दूसरेकेसामनेटकरावकीमुद्रामेंखड़ाकरदियाहै।

यह माना जाता है क पंचायती राज लोगों की व्यवस्था है कन्तु वास्तव में यह लोगों के प्रति ही जवाबदेय नहीं है। सरकार की हर योजना समाज को कई वर्गों में बांटती है और पांचयतें उन योजनाओं का क्रयान्वयन करती हैं यानी वे सामाजिक सद्भाव के संदर्भ में नकारात्म्क भू मका निभा रही हैं। ऐसा भी लगता है क मानों पांचयती राज के जरिये सरकार ने समुदाय के संसाधनों तक भी अपनी मा लकाना पहुंच बढ़ा ली है। अब उन संसाधनों के उपयोग के एवज में पंचायतों को कीमत चुकाना पड़ती है। खदानों, जंगलों, पानी और खेतों पर भी उनका पूरा अ धकार नहीं रह गया है। सरकार भारी संसाधन स्रोत छीनकर छोटे-छोटे स्रोत पंचायतों को सौंप रही है। इसके परिणाम स्वरूप एक नये कस्म का वभाजन स्थानीय शासन व्यवस्था में ठोस रूप ले रहा है।

मध्यप्रदेश में जब पंचायत के तीसरे चुनावों का दौर चल रहा था तब सरकार ने एक निर्णय लया। निर्णय यह था क शासकीय भू म पर अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ने के लये पात्र नहीं होगा। एक तरह से यह प्रावधान लागू करके लाखों द लत आदिवासी दबी हुई जातियों को राजनैतिक ताकत और आजी वका को उलझन में फंसा दिया था। वास्तव में पंचायती राज व्यवस्था का तो मकसद ही समाज के

YASHWANT SHILPKAR

वं चत तबकों की राजनैतिक ताकत को संगठित रूप से उभारना है परन्तु कई ऐसे कानूनी प्रावधान कये जाते रहे हैं जिनसे सरकार की मंशा सवालों के घेरे में आ जाती है। मध्यप्रदेश में यूं भी 15 लाख से ज्यादा लोगों को अतिक्रमणकारी के रूप में पहचाना गया है और ये अतिक्रमणकारी द लत - आदिवासी - पछड़ावर्ग पछड़ावर्ग के लोग हैं ये वो लोग हैं जो अपनी जरूरत को पूरा करने के लये संसाधनों का उपयोग करते हैं न क अपने लालच को पूरा करने के लये। वास्तव में यह कभी नहीं भूलना चाहिये क संसाधनों और सम्पन्नता पर से राज्य अपना नियंत्रण कमजोर नहीं होने देगा और उसका हर कानून अपनी सत्ता रखने के लये होगा। जनकल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में हम एक जनकल्याणकारी राज्य की व्यवस्था में रहते हैं। इस राज्य में 55 फीसदी बच्चे कुपोषण के शकार हैं खाद्य असुरक्षा और भेदभावपूर्ण व्यवस्था के कारण महिलाओं का स्वास्थ्य गंभीर स्थिति में है, अब द लत आदिवासी तबकों में खूब मौते होने लगी हैं। यह सवाल जब भी उठते हैं तब एक जवाब जरूर सामने आता है और वह जवाब होता है क सरकार आंगनबाड़ी, सार्वजनिक वतरण प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मध्यान्ह भोजन योजना योजना इसी लये तो चला रही है। योजनायें तो चल रही हैं पर पंचायतों को पता नहीं है क्यों क इन योजनाओं का वश्लेषण और रूप तय करने का पंचायतों को कोई अ धकार नहीं है।

महिला नेतृत्व का अनुभव

जनसंख्या स्थिरीकरण का नारा भी सरकार ने यदि शासन व्यवस्था के भीतर कहीं लागू कया तो वह पंचायतों में ही कया। मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अ धनियम2001 में यह प्रावधान कया था क जिन लोगों के परिवार में26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान का जन्म होगा उस परिवार का पुरूष या महिला (यानी दम्पत्ति) पंचायत चुनाव के लये अपात्र होंगे। इस प्रावधान के फलस्वरूप प्रदेश में जबरदस्त नेतृत्व पर प्रभाव देखने को मले। पंचायती पद बचाने के लये लोगों ने प्रसव छिपाये, संतानों को गोद दिया, दान दिया यहां तक क पति-पत्नी के बीच तलाक हुआ भी बता दिया गया। इस प्रावधान का सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव महिलाओं और दबे हुये समुदायों पर पड़ा। अंततः जुलाई 2006 में वधानसभा में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया। प्रदेश में महिलाओं के लये सरपंच के7707 और पंच के 123964पदआर क्षतहैं।

द लत नेतृत्व और पंचायती राज

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में यह वर्ग हमेशा ही राजनैतिक रूप से नैपथ्य में ही रहा है। पंचायतों में अनुसू चत जाति के नेतृत्व को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आरक्षण दिया गया है। प्रदेश की कुल पंचायतों में से (कुल पंचायतें 23051) 3252 सरपंच पद अनुसू चत जाति के लये आर क्षत कये गये हैं। आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों के फलस्वरूप द लत समुदाय मुख्यधारा की सत्ता का हिस्सा बन रहा यह भी सही है क जातिवादी वर्ण व्यवस्था राजनीति में इस बदलाव को सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रही है। समय-समय पर द लत पंचायत प्रतिनि धयों के साथ छुआछूत,हिंसा, दबाव और भेदभाव के प्रकरण सामने आते रहे हैं। जब हम ग्रामीण शासन व्यवस्था, एक समुदाय आधारित व्यवस्था की बात करते हैं तो

YASHWANT SHILPKAR

स्वाभा वक रूप से यह तय हो जाता है क केवल प्र शक्षण कार्यक्रमों के जरिये इस असमानता को नहीं मटाया जा सकेगा। इसके लये हमें समाज के राजनैतिक संघर्ष में भी हस्तक्षेप करना होगा।

आदिवासी नेतृत्व और पंचायती राज

यूं तो सामान्य पंचायती राज व्यवस्था में ही आदिवा सयों के लए3252 सरपंच पद आर क्षत हैं कन्तु सं वधान आदिवासी समुदाय की स्वतंत्र अस्मिता को स्वीकार करता है। सं वधान की पांचवी अनुसूची आदिवा सयों को उनके अपने क्षेत्र में व्यापक सामाजिक,आ र्थक और राजनैतिक अ धकार प्रदान करती है। वर्ष 1996 में संसद ने पंचायती राज (वस्तार) अनुसू चत क्षेत्र अ धनियम के जरिये इन अ धकारों को कानूनी मान्यता भी प्रदान कर दी। यह अ धनियम सं वधान में अनुसू चत आदिवासी क्षेत्रों में संसाधनों,न्यायप्र क्रया, वकास और आजी वका के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अ धकार आदिवासी समुदाय को देता है। मकसद यह है क बाहरी हस्तक्षेप से इन समुदायों की निजता और स्वतंत्रता का अतिक्रमण न होने पाये। मध्यप्रदेष में तीन जिले पूर्ण रूप से और 10 जिले आं शक रूप से पांचवी अनुसूची में आते हैं।

प्रावधान तो बहुत ही प्रगतिशील हैं कन्तु अनुभव एक बार फर सध्द करते हैं क आदिवा सयों के संदर्भ में पंचायतीराज वस्तारित अ धनियम (पेसा) का सार्थक ढंग से क्रयान्वयन नहीं हो रहा है। लगभग पूरा अनुसू चत क्षेत्र वन वभाग के दायरे में आता है और यहां वन वभाग संसाधनों की प्रचुरता को देखते हुये अपना अ धकार कमजोर करने में इच्छुक नहीं दिख रहा है। यह भी एक अहम् मुद्दा है क सन् 1996मेंबनेइसकानूनकीनियमएवंप्र क्रयायेंअबतकतयनहींहोपायेहैं।

YASHWANT SHILPKAR